प्रेस नोट दिनांक 19.09.2020

थाना गजरौला पुलिस द्वारा युवक हत्या की अज्ञात घटना का सफल अनावरण कर 03 अभियुक्त मय आलाकत्ल के गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2020 को श्री तारीफ सिंह चौकीदार ग्राम कुदैना चक द्वारा थाना गजरौला पर अज्ञात युवक की हत्या कर शव को ग्राम कुदैना चक निवासी किशन के खेत मे फेंक देने के सम्बन्ध मे थाना गजरौला पर मु0अ0स0 484/2020 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अज्ञात युवक की शिनाख्त अनमोल पुत्र अनिल कुमार निवासी बनथला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के रुप मे हुयी। मेरे द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के अनावरण हेतू पुलिस टीम गठित कर प्रभारी निरीक्षक थाना गजरौला को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 19.09.2020 को थाना गजरौला पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये संलिप्त अभियुक्त नन्ने व यशपाल को जीरो बंदा बृजघाट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण ने पूछताछ मे बताया कि अनमोल की हत्या हम दौनो ने अपने साथी धारा पुत्र रामखिलाडी निवासी पंचशील कॉलोनी थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर की थी तथा हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल बाँस का डन्डा व अभियुक्त नन्हे के खून से सने कपडो को छिपाने मे अभियुक्त नन्हे के जीजा रामवतार ने मदद की थी। अभियुक्त नन्ने , यशपाल व रामअवतार को गिरफ्तार कर अभियुक्तो की निशादेही पर हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांस का डन्डा व मृतक अनमोल के खून से सने हये अभियुक्त नन्हे की टीशर्ट व जीन्स बरामद की गयी तथा पंजीकृत अभियोग मे धारा 394/411 भादवि की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ अभियुक्तगणः-

पुछताछ के दौरान अभियुक्त नन्हे व यशपाल ने बताया कि हम दौनो व धारा एक साथ मृतक के साथ दिल्ली मे थ्री व्हीलर चलाते थे करीब 04 माह पूर्व अनमोल ने थ्रीव्हीलर मे सवारी बैठाने को लेकर अभियुक्त यशपाल के साथ मारपीट कर उसके 700 रुपये छीन लिये थे तथा अनमोल ने अभियुक्त धारा के साथ भी सवारी बैठाने को लेकर मारपीट कर दी थी। उसके बाद हम तीनो ने अनमोल की हत्या कर उसका थ्री व्हीलर लूटने की योजना बनायी। योजना के अनुसार दिनांक 25.08.2020 को समय रात्री 11.00 बजे अभियुक्त नन्ने , यशपाल व धारा ने अनमोल का टैम्पो भोपुरा टैम्पो स्टैंड से गंगा नहाने की बात कहकर 600 रुपयों मे किराये पर बुक कर दिल्ली से चलकर रात्री 02 बजे ब्रजघाट पहुंचे उसके बाद बहाना किया कि अभी अभियुक्त नन्हे की बहन के यहां ग्राम कुदैना चलते है स्नान कल करेंगे जैसे ही अभियक्तगण गौशाला के सामने से कुदैना चक वाले रास्ते पर पहुचें तो अभियुक्तगणो ने पैशाब का बहाना कर थ्रीव्हीलर को रुकवाकर अनमोल की बाँस को डन्डे से पीटकर व टैम्पो के क्लच के तार से गला घोटकर हत्या कर शव को तोराई के खेत मे फेककर, नन्हे की बहन के यहां चले गये थे जहा से नन्हे के जीजा रामअवतार ने तीनो अभियुक्तो के साथ मिलकर नन्हे के खून से सने कपडे व खून मे सना हुआ बाँस का डन्डा को भीमाठीकरी के जंगल मे फैक दिया तथा उसके बाद हम तीनो रामअवतार को उसके घर पर छोडकर गाजियाबाद चले गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नन्हे उर्फ सोमपाल पुत्र सुखराम निवासी ग्राम तिगरिया थाना आदमपुर जनपद अमरोहा। हाल पता पंचशील कॉलोनी थाना टीला मोड , गाजियाबाद।
2. यशपाल पुत्र गैन्दा लाल निवासी ग्राम डीएलएफ मकान न0 A/407 शरदपुरी थाना नंदनगरी थाना शहादरा दिल्ली।
3. रामअवतार पुत्र गुलाब सिंह निवासी निवासी ग्राम कुदैना चक थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

बरामदगी:-

1. आलाकत्ल बांस का टूकडा व खुन मे सने हुये अभियुक्त नन्हे के कपडे।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम प्रसाद शर्मा थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

2. वरि0उ0नि0 पवन पाठक थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

3.उ0नि0 श्री मोहित बालियान थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

4. उ0नि0 जावेद अली थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

5. का0 904 योगेश कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

6. का0 अरूण कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।